मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)

By : Karan Sir

"हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी।"- महात्मा गांधी

मौलिक कर्तव्य क्या है?

- लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत अधिकार और कर्तव्य दोनों आवश्यक होते हैं क्योंकि जो किसी व्यक्ति के लिए अधिकार है वह दूसरे के लिए कर्तव्य है अर्थात् कोई भी अधिकार निरपेक्ष नहीं होता। चूँकि, भारत को लोकतंत्रात्मक समाजवाद के रूप में मान्यता दी गई है, अत: इसमें कर्तव्यों के साथ अधिकार का मिलना आवश्यक है।

संविधान में व्याख्या

- मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, परन्तु आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 1976 में 42 वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग -4क तथा अनु० 51क जोड़ा गया। संशोधन के जरिए संविधान में जोड़े गए मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। किंतु 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया।

भारतीय संविधान में उपबंधित मौलिक कर्तव्य

1. संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्र गान का आदर करना।
2. स्वतंत्रता के लिये हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना।
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना।
4. देश की रक्षा करना और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करना।
5. भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।
6. हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्त्व देना और संरक्षित करना।
7. वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना और प्राणिमात्र के लिए दयाभाव रखना।
8. मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना।
9. सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिये प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल करे।
11. 6 से 14 वर्ष तक के आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। (86वें संविधान द्वारा जोड़ा गया)

मूल कर्तव्यों से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य

- आयोग- स्वर्ण सिंग समिति
- प्रकृति-गैर न्यायोचित
- भारतीय संविधान में उल्लेख- भाग IV-A (अनुच्छेद 51(A))
- कितने प्रकार के कर्तव्य-2
- मूल कर्तव्यों की कूल संख्या-11

1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया।

नैतिक कर्तव्य- 'स्वतंत्रता के लिये हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना'

नागरिक कर्तव्य- 'संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना'

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

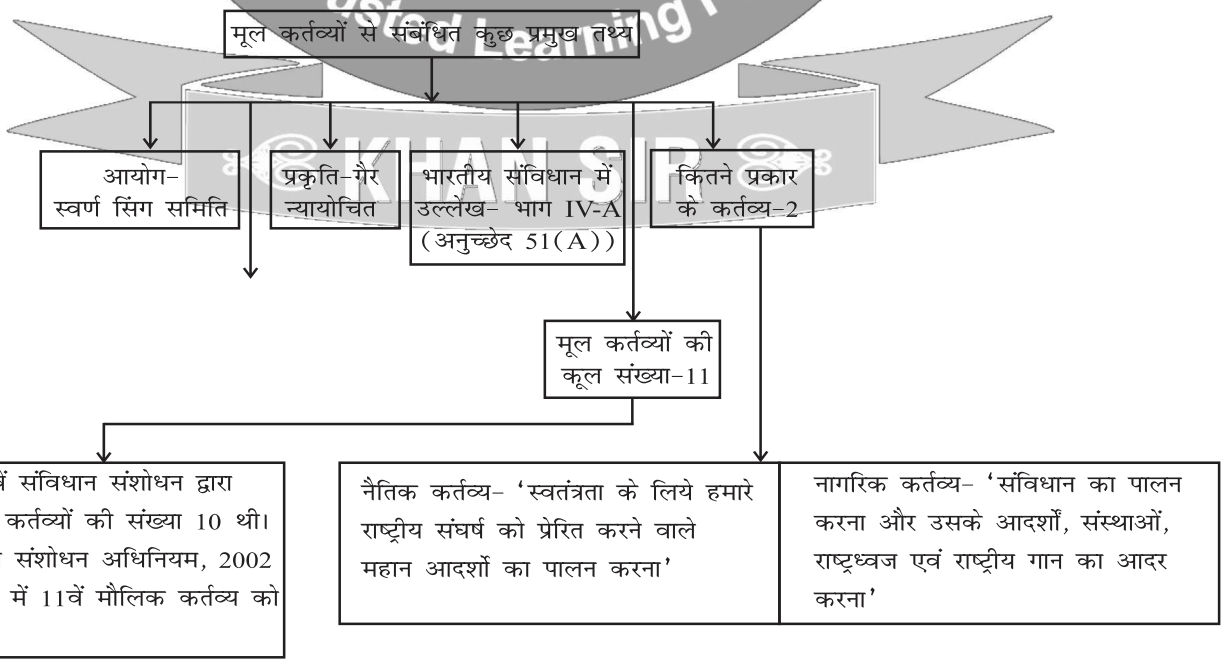

- संविधान के भाग IV-A में 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया।
- वर्तमान में अनुच्छेद 51(A) के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं।
- संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन USSR के संविधान से प्रेरित है।
- 10 वें मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिये संविधान में शामिल किया गया था।

  मौलिक कर्तव्यों के तहत 'नैतिक' और 'नागरिक' दोनों ही प्रकार के कर्तव्य शामिल किये गए हैं।
- 'स्वतंत्रता के लिये हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना' - नैतिक कर्तव्य
- 'संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना' - नागरिक कर्तव्य
- कुछ मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ-साथ विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं, परंतु मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं।
- मौलिक कर्तव्य की प्रकृति गैर-न्यायोचित या गैर-प्रवर्तनीय होते हैं।
- संविधान के अंतर्गत इन मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिये भी कोई विशेष प्रावधान नहीं किये गए हैं।
- कई देशों (संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर) ने 'जिम्मेदार नागरिकता' के सिद्धांतों को मूर्त रूप देकर स्वयं को विकसित अर्थव्यवस्था बनायाा है।

<u>मौलिक कर्तव्य का महत्त्व</u>

- मौलिक कर्तव्य के निम्नलिखित महत्त्व हैं जिसे बिन्दुवार दर्शाया गया है-
- मौलिक कर्तव्य देश के नागरिकों के लिये एक सचेतक के रूप में कार्य करते हैं।
- ये राष्ट्र के प्रति अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देते हैं।
- ये असामाजिक गतिविधियों जैसे- झंडा जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना आदि के विरुद्ध एक चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं।
- नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करते हैं।

<u>मौलिक कर्तव्यों की बाध्यता</u>

- मौलिक कर्तव्यों के पीछे किसी प्रकार की कानूनी बाध्यता न होने के कारण इनका पालन न करने या इनका उल्लंघन करने पर संविधान में किसी प्रकार के दंड की व्यवस्था नहीं है। इसके साथ मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय भी नहीं बनाया गया है। ऐसे में संविधान में मौलिक कर्तव्य का शामिल किया जाना मात्र नागरिकों को उनके विषय में शिक्षित करना ही एकमात्र उद्देश्य प्रतीत होता है। किंतु 1999 की वर्मा समिति की रिपोर्ट के अनुसार मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन हेतु पहले से ही कुछ वैधानिक प्रावधान मौजूद हैं, जो निम्नलिखित हैं-
- राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान और राष्ट्रगान के प्रति किसी प्रकार की अवमानना को रोकने के लिए, श्राष्ट्रीय सम्मान की अवमानना पर रोक संबंधी विधेयकश 1971 ई. में पारित किया गया।
- 1956 ई. में प्रतीक और नाम के अनुचित उपयोग पर रोक लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया था।
- राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन में उसके साथ ढंग से बर्ताव किया जाए। इसकी सुनिश्चितता हेतु समय-समय पर दिए गए निर्देश भारतीय ध्वज संहिता में संकलित हैं।
- ऐसे आरोप और दावे जो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक हैं। वे भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ख) के अनुसार दंडनीय हैं।
- गैर कानूनी गतिविधि (निवारक) अधिनियम 1967 के प्रावधानों के तहत किसी सांप्रदायिक संगठन को एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया जा सकता है।
- धर्म से संबंधित आक्रमक गतिविधियां भारतीय दंड संहिता की धाराओं 295-298 के अंतर्गत आती है।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (3) एवं 123 (3) (क) यह घोषणा करती है कि धर्म के आधार पर तथा भारतीय नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, जाति, समुदाय या भाषा को आधार बनाते हुए शत्रुता और घृणा की भावना फैलाकर वोट मांगना एक भ्रष्ट व्यवहार है और इस व्यवहार के आधार पर कोई भी व्यक्ति जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धार 8 (क) के अनुसार संसद या किसी राज्य की विधान सभी की सदस्यता के आयोग्य ठहराया जा सकता है।

<u>मौलिक कर्तव्य की आलोचना</u>

- निम्नलिखित आधारों पर मौलिक कर्तव्य की आलोचना की जा सकती हैं-
- मौलिक कर्तव्यों की इस सूची में कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण विषयों (कर देने और मतदान करने आदि) को भी शामिल किया जाना चाहिये।
- कई मौलिक कर्तव्यों को सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है।
- कर्तव्यों को कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, इसलिये आलोचक मानते हैं, कि संविधान में इसके होने का कोई विशेष महत्त्व नहीं है।

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर

❖ मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य को कई आधारों पर अंतर किया जा सकता है जिसे एक तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है–

मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर			
क्र.सं.	आधार	मौलिक अधिकार	मौलिक कर्तव्यों
1.	परिभाषा	मौलिकअधिकार,प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्ध हैं , चाहे वह किसी भी जाति, जन्म स्थान, धर्म, जाति, पंथ या लिंग का हो।	यह देश की संप्रभुता , एकता और अखंडता की रक्षा के लिए देश के प्रति नागरिकों का नैतिक दायित्व।
2.	संविधान का हिस्सा	यह संविधान के **भाग III**में मौजूद है।	संविधान के **भाग IV क** में मौजूद है।
3.	से उधार	मौलिक अधिकारों की अवधारणा **संयुक्त राज्य अमेरिका** से उधार ली गई है।	यह अवधारणा पूर्व**यू.एस.एस. आर.** से उधार ली गई है।
4.	उपलब्धता	यह **केवल नागरिकों** के लिए ही उपलब्ध है लेकिन इनमें से कुछ विदेशियों के लिए भी उपलब्ध हैं।	केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध और बाध्यकारी हैं।
5.	प्रकृति	यह प्रकृति में **राजनीतिक और सामाजिक** है।	प्रकृति में **राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक** तीनों प्रकार का है।
6.	न्यायसंगतता	यह **अदालत के समक्ष लागू करने योग्य** हैं।	**अदालत के समक्ष लागू करने योग्य नहीं** हैं।
7.	सामग्री	**अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित** है।	**अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित** है।
8.	प्रवर्तनीयता	वे सीधे लागू करने योग्य हैं।	न्यायालयों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लागू करने का कोई प्रावधान नहीं है। संसद उपयुक्त कानून के माध्यम से उन्हें लागू कर सकती है।

सजा का प्रावधान

क्या मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है?

❖ स्वर्ण सिंग समिति की सिफारिसों पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल तो किया गया पर उन्होंने इसको न मानने पर दंड का प्रावधान भी करने के लिए कहा था परन्तु दंड के प्रावधानों को स्वीकार करने से माना कर दिया गया था क्योंकि सरकार को ऐसा अनुमान था कि भारत की अधिकांश जनता निरक्षर है और ऐसे में ये अक्षरश: मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकती, यही कारण था कि मौलिक कर्तव्यों को अपनी प्रकृति में लागू करने योग्य या अदालत के समक्ष पेश करने योग्य नहीं रखा गया, अर्थात, किसी भी व्यक्ति को मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति मूल कर्तव्य

का पालन नहीं करता है तो उसे दण्डित नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसका कुछ अपवाद भी है यदि कोई व्यक्ति एक ऐसा कार्य करता हैं जो निषिद्ध है तथा साथ ही वह मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करता है। ऐसे व्यक्ति सजा का हकदार होता है।

<u>भारतीय ध्वज संहिता, 2002</u>

- भारतीय ध्वज संहिता, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और उसकी गरिमा को बनाए रखने तथा भारतीय तिरंगे के अप्रतिबंधित प्रदर्शन की अनुमति देता है।

यह ध्वज के सही प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाले ध्वज के पूर्व नियमों को प्रतिस्थापित नहीं करती है। हालाँकि यह पिछले सभी कानूनों, परंपराओं और प्रथाओं को एक साथ लाने का प्रयास था।

<u>भारतीय ध्वज संहिता, 2002 का वर्गीकरण</u>

- भारतीय ध्वज संहिता, 2002 को निम्नलिखित तीन भागों में बाँटा गया हैं जिसे एक आरेख के माध्यम से दर्शाया गया है-

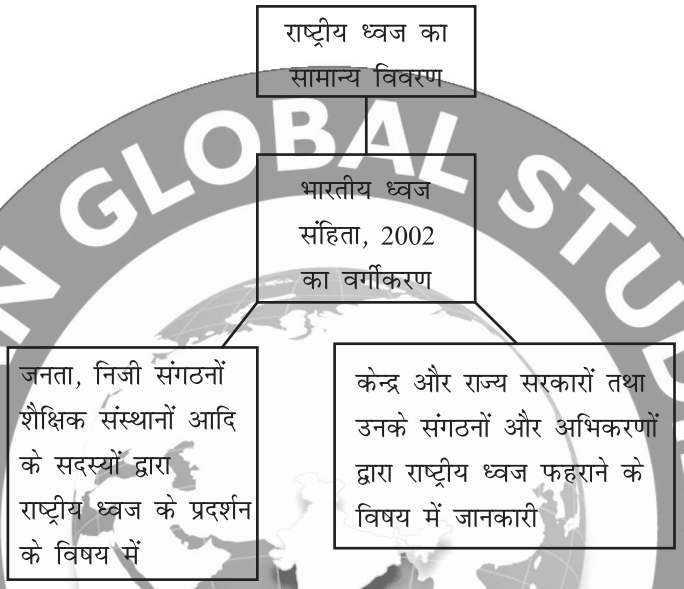

- भारतीय ध्वज संहिता में उल्लेख किया गया है कि तिरंगे का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये नहीं किया जा सकता है।
- इसके अलावा ध्वज का उपयोग उत्सव के रूप में या किसी भी प्रकार की सजावट के प्रयोजनों के लिए भी नहीं किया जा सकता है।
- ध्वज के आधिकारिक प्रदर्शन के लिए केवल भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप चिह्न वाले झंडे का उपयोग किया जा सकता है।

<u>भारतीय तिरंगे से संबंधित नियम</u>

- समय-समय पर भारतीय तिरंगे से संबंधित नियमों को बनाया गया हैं जिसे एक आरेख के माध्यम से दर्शाया गया है-

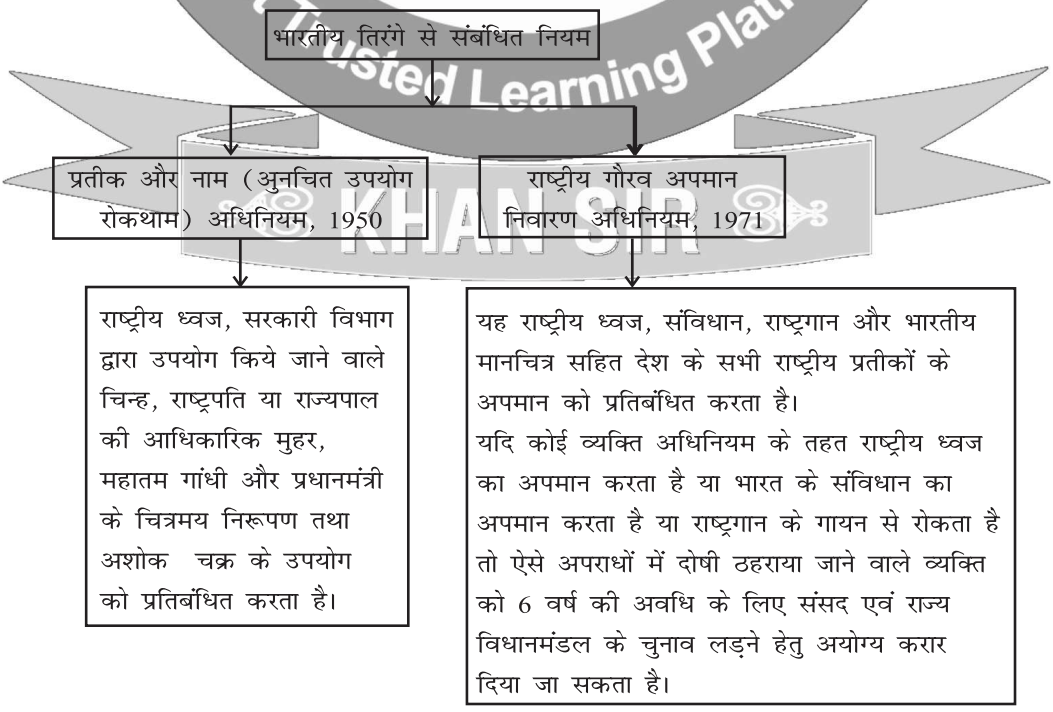

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

- राष्ट्रीय गौरव के अपमान की रोकथाम अधिनियम (प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट), 1971
- यह अधिनियम राष्ट्रीय प्रतीकों को नष्ट करने या उनके अपमान को प्रतिबंधित करता है, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान के साथ संविधान और भारत का मानचित्र भी शामिल है। इसमें राष्ट्रगान को बीच में ही रोक देने पर तीन साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955

- यह, अस्पृश्यता के प्रचार और इसके संबंध में व्यवहार करने के लिए दंड निर्धारित करने के लिए एक अधिनियम है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

- यह अधिनियम सरकार को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने की अनुमति देता है और किसी को भी पर्यावरण के आधार पर उद्योगों (इंडस्ट्रीज) को उनके संचालन या स्थापना से प्रतिबंधित करता है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

- भारत की संसद का यह अधिनियम वनों के संरक्षण और उससे जुड़े मामलों जो या तो उससे सहायक (एंसिलरी) हैं या आनुषंगिक (इंसीडेंटल) हैं, का प्रावधान करता है।

मौलिक कर्त्तव्य से संबंधित 69वां बिहार लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्न

1. **मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों में क्या अंतर है?**
2. **मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बीच क्या संबंध है?**

वर्तमान समय में भारत के विकास में मौलिक कर्त्तव्य किस प्रकार सहायक हैं? विवेचना कीजिए।

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (Directive Principles of State)

राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अर्थ

- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित आदर्शों एवं उद्देश्यों को व्यवहार में लागू करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में सम्मिलित किया गया है क्योंकि इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। नीति निर्देशक तत्व वह सिद्धांत है जो कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका को ऊंचे नागरिक आदर्श प्राप्त करने का निर्देश देता है।

राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

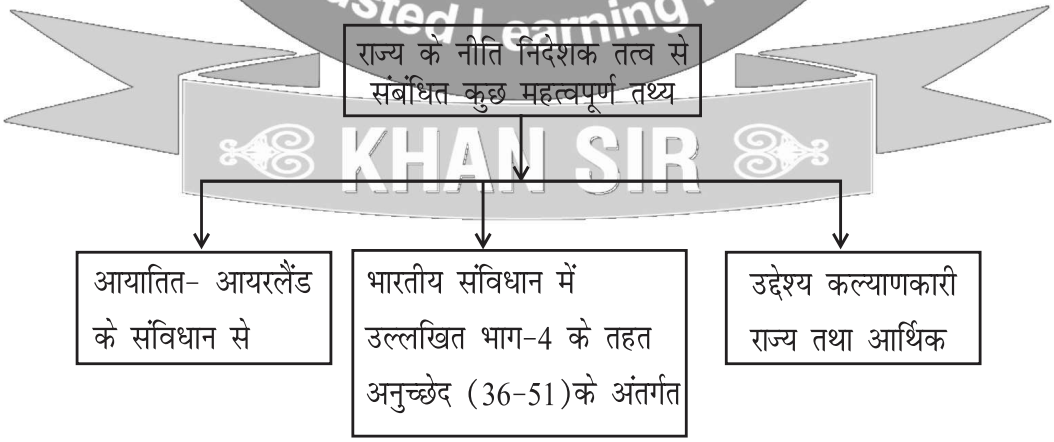

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

नीति निर्देशक तत्व के विषय में विद्वानों/उच्चतम न्यायलय का कथन

नीति निर्देशक तत्व के विषय में विद्वानों का कथन		
क्र.सं.	विद्वान	संबंधित कथन
1.	सर आइवर जेनिंग्स	इन नीति निदेशक तत्वों का मूल दर्शन फेबियन समाजवाद है जिसमें से समाजवाद निकाल दिया गया है क्योंकि उत्पादन वितरण एवं विनियम के साधनों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गयाहै।
2.	डॉ. एम.वी. पायली	नीति निदेशक तत्वप्रजातांत्रिक भारत की संकल्पना का स्वरूप तय करती है और इसे जब सरकार द्वारा कार्यरूप में परिणत किया जा सकेगा तो भारत एक सच्चा लोक कल्याणकारी राज्य कहलाएगा।
3.	केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद)1973)	इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया राज्य के नीति निदेशक तत्व के पीछे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। स्पष्ट है ये नीति निदेशक कुछ ऐसे आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्रस्तुत है, जिनके आधार पर नीतियों का निर्माण कर भारत को लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये तत्व सरकारों को दिए गए निर्देश हैं जिनके आधार पर सरकार ऐसी नीति बनाएगी जो देश में न्यायसंगत समाज की स्थापना में सहायक होगा।

नीति निदेशक तत्वों में शामिल आधारभूत तत्व

❖ नीति निदेशक तत्वों में निम्नलिखित तीन आधारभूत तत्व शामिल हैं जिसे एक आरेख के माध्यम से दर्शाया गया है–

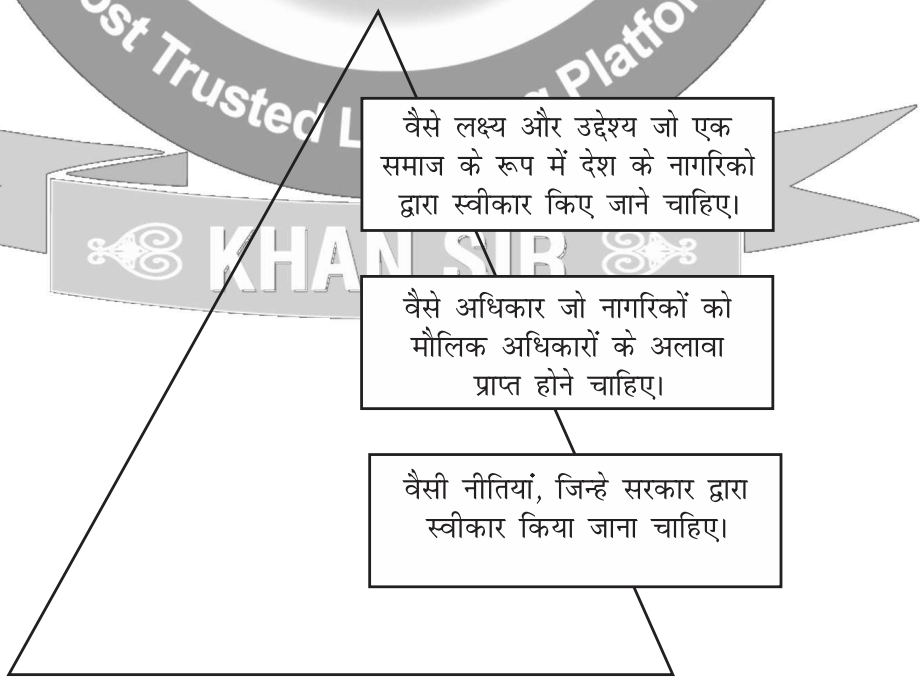

Most Trusted Platform
KHAN SIR

<u>नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण</u>

❖ वैसे तो संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण नहीं किया गया है लेकिन वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर इन्हें तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। जिसे एक तालिका के माध्यम से दिखाया गया है–

नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण			
सिद्धांत	सिद्धांत की आवश्यकता क्यों?	अनुच्छेद	संबंधित अनुच्छेद
समाजवादी सिद्धांत	ये सिद्धांत समाजवाद के आलोक में है ये लोकतान्त्रिक समाजवादी राज्य का खांका खीचते हैं जिनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है | ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते है|	अनुच्छेद- 38, 39, 39(क), 41 , 42,43, 43(क), 47	• **अनुच्छेद 38:** राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। • **अनुच्छेद 39:** राज्य निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा: • नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार। • भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिये व्यवस्थित करना। • कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना। • पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिये समान वेतन। • श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा। • बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण न होने देना । • **अनुच्छेद 41:** बेरोज़गारी , बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने , शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार • **अनुच्छेद 42:** राज्य, काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिये प्रावधान करेगा। • **अनुच्छेद 43:** राज्य सभी कामगारों के लिये निर्वाह योग्य मज़दूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। • **अनुच्छेद 43 (क):**उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये राज्य कदम उठाएगा। • **अनुच्छेद 47:** लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना।

2.	गांधीवादी सिद्धांत	ये सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है| यह राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गाँधी द्वारा पुनर्स्थापित योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते है| गांधीजी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों का निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है-	अनुच्छेद- 40, 43, 43(ख), 46, 47, 48	• **अनुच्छेद 40:** राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिये कदम उठाएगा। • **अनुच्छेद 43:** राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। • **अनुच्छेद 43(ख) :** सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। • **अनुच्छेद 46:** राज्य समाज के कमज़ोर वर्गों , विशेषकर अनुसूचित जातियों (एससी) , अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। • **अनुच्छेद 47:** राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिये कदम उठाएगा और नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। • **अनुच्छेद 48:** गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों को पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार करने के लिये।
3.	उदार और बौद्धिक सिद्धांत	इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो उदारवादिता की विचारधारा से सम्बंधित है-	अनुच्छेद- 44, 45, 48, 48, (क), 49, 50, 51	• **अनुच्छेद 44:** भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिये एक "समान नागरिक संहिता" को सुरक्षित करने का प्रयास करना। • **अनुच्छेद 45:** सभी बच्चों को छह वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। • **अनुच्छेद 48:** कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। • **अनुच्छेद 48(क) :** पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करना। • **अनुच्छेद 49:** राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्त्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना।
				• **अनुच्छेद 50:** राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिये कदम उठाना। • **अनुच्छेद 51:** यह घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा: • राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। • अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिये सम्मान को बढ़ावा देना। • मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना।

मौलिक अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व

- मौलिक अधिकारों (FRs) के विपरीत नीति निर्देशक तत्व (DPSPs) का दायरा असीम है और यह एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है और वृहद स्तर पर कार्य करता है।
- नीति निर्देशक तत्व में वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका पालन राज्य को देश के लिये नीतियाँ और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिये।
- मौलिक अधिकार प्रकृति में नकारात्मक या निषेधात्मक हैं क्योंकि वे राज्य पर सीमाएँ आरोपित करते हैं।
- दूसरी ओर निदेशक सिद्धांत सकारात्मक निर्देश हैं, नीति निर्देशक तत्व कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं।
- यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार साथ-साथ चलते हैं।
- नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार के अधीनस्थ नहीं है।

मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों में संबंध

- मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्त्व दोनों ही संवैधानिक ढाँचे के अभिन्न अंग हैं। ये दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और इन्हें एक-दूसरे के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
- जहाँ मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं वहीं नीति निदेशक तत्त्व समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं।
- मौलिक अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देते हैं जो कि लोकतंत्र का आधार हैं, जबकि नीति निदेशक तत्त्व समग्र विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें समाजवाद, उदारवाद, गांधीवाद जैसे मूल्यों का समायोजन है।
- मौलिक अधिकारों को संविधान का सरंक्षण प्राप्त है और वे न्याय योग्य हैं, जबकि नीति निदेशक तत्त्वों को नहीं। अत: इस दृष्टिकोण से मौलिक अधिकार अधिक महत्वपूर्ण है।
- मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिये अनिवार्य रूप से संसाधन उपलब्ध कराता है जबकि नीति निदेशक तत्त्व संसाधनों पर निर्भर है।

नीति निदेशक तत्त्व मौलिक अधिकारों से अधिक मजबूत

- मौलिक अधिकारों पर युक्ति-युक्त निर्बंधन लोक-व्यवस्था, देश की एकता-अखंडता और सदाचार आदि के आधार पर किया जाता है।
- मौलिक अधिकारों में संशोधन का आधार भी नीति निदेशक तत्त्व होते है। जैसे संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाना व 86वाँ संविधान संशोधन का आधार भी नीति निदेशक तत्त्व है।
- संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक-आर्थिक न्याय पर अधिक बल दिया गया है जिससे नीति निदेशक तत्त्वों का महत्व स्पष्ट होता है।

मौलिक अधिकार व नीति निदेशक तत्त्व पूरक अवधारणा

- मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय की स्थापना करता है, जबकि नीति निदेशक तत्त्व सामाजिक तथा आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। दोनों के पूरक होने से समग्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है।
- मौलिक अधिकार व्यक्तिगत हितों पर बल देते हैं अत: दोनों पूरक होकर व्यक्ति और समाज में संतुलन स्थापित कर सकते हैं।
- मौलिक अधिकार बताता है कि नागरिकों को क्या दिया जा चुका है जबकि नीति निदेशक तत्त्व बताते हैं कि और क्या दिया जाना बाकी है। इस तरह नीति निदेशक तत्त्व मौलिक अधिकार का मार्गदर्शन करता है।
- सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामले में कहा गया कि निदेशक तत्त्व देश के शासन के आधारभूत सिद्धांत हैं और संविधान के भाग 3 के उपबंध को इन सिद्धांतों के साथ ही समझा जाना चाहिये।
- मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ मामले में भाग 3 और भाग 4 को एक दूसरे का पूरक बताया गया।
- उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले में स्पष्ट किया गया कि भाग 3 एवं भाग 4 एक दूसरे के सहायक हैं।

मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्त्व में विरोध

- चंपकम दोरायराजन बनाम मद्रास राज्य वाद 1951 में सर्वप्रथम यह विवाद सामने आया कि मौलिक अधिकार तथा नीति निदेशक तत्त्व में किसे सर्वोच्चता दी जाए। न्यायालय ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार प्राथमिक हैं और नीति निदेशक तत्त्व सहायक रूप में है, अत: मौलिक अधिकार सर्वोच्च है।
- इस निर्णय को प्रभावित करने हेतु प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा कहा गया कि सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु विशेष उपबंध किया जा सकता है। साथ ही द्वितीय संविधान संशोधन 1955 द्वारा कहा गया कि अगर राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिये संपत्ति का अधिग्रहण करता है और कुछ मुआवजा देता है तो इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद, 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों में संशोधन की मनाही कर दी और निदेशक तत्त्व की स्थिति मौलिक अधिकार के अधीनस्थ के रूप में हो गई।
- उपरोक्त निर्णय को प्रभावी बनाने हेतु 24वाँ संशोधन 1971 लाया गया और कहा गया कि संसद मौलिक अधिकार संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती हैं।

- ❖ 25वाँ संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 जोड़कर कहा गया कि 39(B), 39(C) में समाजवादी तत्त्व विद्यमान है जिन्हें लागू करने पर अगर अनुच्छेद 10 19, 31 जैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो मान्य नहीं होगा।
- ❖ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में 24 और 25 वें संशोधन को चुनौती दी गई जहां कोर्ट ने इन्हें संवैधानिक घोषित किया और कहा कि ये मूल ढाँचे का उल्लंघन नहीं करते।
- ❖ आगे चलकर 42वें संशोधन 1976 द्वारा विस्तार दिया गया और कहा गया कि किसी भी नीति निदेशक तत्त्व को लागू करने से किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह मान्य नहीं होगा ।
- ❖ मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाद 1980 में 42वें संशोधन को चुनौती दी गई। न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि मौलिक अधिकार एवं निदेशक तत्त्व एक-दूसरे के पूरक हैं और इन्हें अलग-अलग करके नहीं देखना चाहिये।

<u>संविधान संशोधन और नीति निर्देशक तत्व स्थिति</u>

- ➢ **श्रम सुधार:** समाज के श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा के लिये निम्नलिखित अधिनियम बनाए गए थे।
- ❖ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (वर्ष 1948), श्रम संहिता, 2020
- ❖ अनुबंध श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम (वर्ष 1970)
- ❖ बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम (वर्ष 1986), वर्ष 2016 में बाल एवं किशोर श्रम निषेध व विनियमन अधिनियम, 1986 के रूप में पुनर्निर्मित।
- ❖ बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम (वर्ष 1976)
- ❖ खनन और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957
- ❖ महिला श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिये मातृत्व लाभ अधिनियम (वर्ष 1961) और समान पारिश्रमिक अधिनियम (वर्ष 1976) बनाया गया है।
- ➢ **भूमि सुधार:** समाज में परिवर्तन लाने और ग्रामीण जनता की स्थिति में सुधार लाने के लिये लगभग सभी राज्यों ने भूमि सुधार कानून पारित किये हैं। इन उपायों में शामिल हैं:
- ❖ जमींदारों, जागीरदारों, इनामदारों जैसे बिचौलियों का उन्मूलन।
- ❖ किरायेदारी व्यवस्था में सुधार जैसे- कार्यकाल की सुरक्षा, उचित किराया आदि।
- ❖ भूमिहीन मजदूरों के बीच अधिशेष भूमि का वितरण।
- ❖ सहकारी खेती।
- ❖ भूमि जोत पर सीलिंग का अधिरोपण।
- ➢ **पंचायती राज व्यवस्था:** 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद 40 में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया। देश के लगभग सभी हिस्सों में ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय श्पंचायती राज प्रणालीश शुरू की गई थी।
- ➢ **कुटीर उद्योग:** अनुच्छेद 43 के अनुसार, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने कई बोर्ड स्थापित किये हैं जैसे- ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, रेशम बोर्ड, कॉयर बोर्ड आदि, जो कुटीर उद्योगों को वित्त एवं विपणन में आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं।
- ➢ **शिक्षा:** सरकार ने अनुच्छेद 45 में दिये गए प्रावधान के अनुसार, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित प्रावधानों को लागू किया है।
- ❖ इसे 83वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पेश किया गया एवं इसके पश्चात् शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 पारित किया गया। प्रारंभिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है।
- ➢ **ग्रामीण क्षेत्र का विकास:** सामुदायिक विकास कार्यक्रम (वर्ष 1952), एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (वर्ष 1978-79) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा- वर्ष 2006) जैसे कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को बढ़ाने के लिये शुरू किये गए थे। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 47 में कहा गया है।
- ➢ **वास्थ्य:** केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएँ जैसे- प्रधानमंत्री ग्राम स्वास्थ्य योजना (PMGSY) और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NHRM) को भारतीय राज्य के सामाजिक क्षेत्र की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिये लागू किया जा रहा है।
- ➢ **पर्यावरण:** वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972; वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 को क्रमश: वन्यजीवों एवं वनों की सुरक्षा के लिये अधिनियमित किया गया है। जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना के लिये प्रावधान किया है।
- ➢ **विरासत संरक्षण:** प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातत्त्व स्थल व अवशेष अधिनियम (वर्ष 1958) राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा के लिये अधिनियमित किया गया है।

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना

❖ नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना कई आधारों पर किया जा सकता हैं जिसे एक आरेख के माध्यम से दर्शाया गया है-

बिहार में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन

1950 के पश्चात्

- **अनुच्छेद 38 और 39**- भूमि सुधार, हरित क्रांति, जमींदारी उन्मूलन, सार्वजानिक उपक्रमों की स्थापना, भूमि सुधार अधिनियम-1950, भूदान अधिनियम-1954, राज्य चकबंदी-1956, हदबंदी अधिनियम-1966
- **हरित क्रांति**- गहन कृषि विकास कार्यक्रम (पक्च) के आधार पर की गईद्य

❖ सामान कार्य के लिए सामान वेतन,1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948, बाल श्रम प्रतिबंध

- **अनुच्छेद 40**- पंचायती राज अधिनियम-2006,
- **अनुच्छेद 41**- वृद्धावस्था पेंशन 400-500, दुर्घटना मुआवजा, चिकित्सा सहायता कार्य योजना, मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना, लक्ष्मीबाई पेंशन योजना-प्रतिमाह 400 रूपया
- **अनुच्छेद 42**- प्रसूति हित लाभ योजना + कारखाना अधिनियम, जयप्रथा जननी आरोग्य योजना
- **अनुच्छेद 45**- शिक्षा का अधिकार कानून, मुख्यमंत्री बालिका पोषक योजना, मुख्यमंत्री साईकिल योजना, सेनेटरी नैपकिन योजना
- **अनुच्छेद 47**- शराब पेय पदार्थ बंद 2016 से
- **अनुच्छेद 48**- कृषि पशुपालन, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण
- **अनुच्छेद 48(क)**- जल जीवन हरियाली मिशन, हर मेड किनारे पेड़, बागवानी मिशन, जल संग्रहण

69वॉ मुख्य परीक्षा संबंधित प्रश्न (DPSP)

Q.1 DPSP राज्य के विकास के पथप्रदर्शक है, विवेचना कीजिए।

Q.2 भूतपूर्व CJI एन वी रमना ने कहा है, कि DPSP केवल दिखावटी या तकनीकी उद्देश्य पूर्ति के लिए नहीं बल्कि वे सामाजिक परिवर्तन में दिशा देनेवाले मार्गदर्शक है। इसके व्याख्या को व्यवहारिक रूप से वर्णन का उपयुक्त उदाहरणों के साथ करें।

Q.3 DPSP और मूल अधिकार में टकराव की स्थिति क्यों आती हैं?
DPSP के महत्व को बतायें।

Q.4 DPSP को लागू करनें मे राज्यों के समक्ष क्या चुनौतियाँ है?

संसद

संसद का गठन

❖ भारतीय शासन प्रणाली के तीन स्तम्भ में दूसरा स्तम्भ संसद या विधायिका होती है। जिसका उपबंध संविधान के भाग-5 में अनुच्छेद 79 से 122 के अंतर्गत किया गया हैद्य अनुच्छेद 79 में यह उल्लेखित है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्य सभा के मिलने से बनेगी। इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति राज्य के संवैधानिक प्रमुख और संसद का अभिन्न अंग होता है।

संसद के कार्य एवं शक्तियाँ

❖ संसद के पास भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित कार्य एवं शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं जिसे एक आरेख द्वारा प्रदर्शित किया गया है-

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

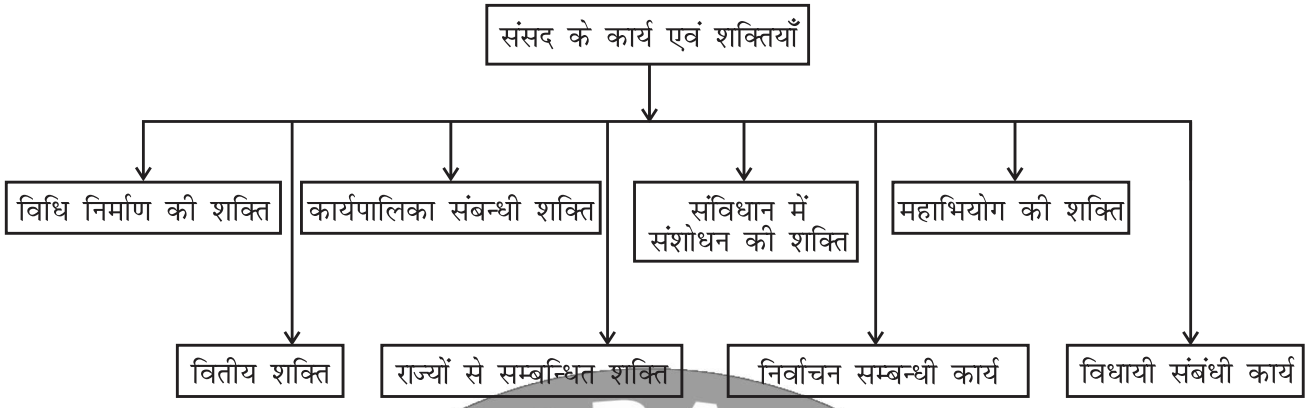

विधि निर्माण की शक्ति

❖ संसद को सातवीं अनुसूची के संघ सूची तथा समवर्ती सूची में अन्तर्विष्ट विषयों पर विधि निर्माण का पूर्ण अधिकार है लेकिन उसे निम्नलिखित स्थितियों में राज्य सूची में शामिल किये गये विषयों पर भी विधि निर्माण का अधिकार है–

(क)जब राष्ट्रीय आपात या राज्य में आपात स्थितिप्रवर्तन में हो (अनुच्छेद 350)

(ख)जब दो या दो से अधिक राज्यों के विधान मंडल प्रस्ताव पारित करके संसद के विधि निर्माण का अनुरोध करें (अनुच्छेद 252)

(ग)जब राज्य सभा दो तिहाई बहुमत से प्रस्तावपारित करके संसद से विधि निर्माण का अनुरोधकरे (अनुच्छेद 249)।

वित्तीय शक्ति

❖ संसद को संघ के वित्त पर पूर्ण अधिकार है। प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति कागठन संसद द्वारा किया जाता है तथा भारत कीसंचित निधि पर संसद का पूर्ण नियंत्रण होता है।संसद द्वारा निर्मित विधि के प्रावधानों के अनुसार ही भारत की संचित निधि से ध न निकाला जा सकताहै। संसद को आकस्मिक निधि को भी स्थापित करने का अधिकार है संसद के समक्ष वार्षिक बजटपेश किया जाता है, जिसमें वर्ष के प्राक्कलित प्राप्तियों तथा व्ययों का विवरण होता है। इसके अतिरिक्त संसद को विनियोग विधेयक, अनुपूरक,अतिरिक्त या अधिक अनुदान, लेखानुदान, प्रत्यानुदान तथा अपवादानुदान के सम्बन्ध मेंपर्याप्त शक्ति है। कराधान प्रस्तावों को प्रवर्तित करने हेतु संसद को वित्त विधेयक पारित करने की शक्ति है।

कार्यपालिका संबन्धी शक्ति

❖ संसद सदस्यों में से ही सत्तापक्ष के सदस्यों से मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। संसद सदस्य कई प्रस्तावों के माध्यम से मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखते हैं तथा मंत्रिपरिषद को संसद (विशेष कर लोकसभा) के प्रति उत्तरदायी बनाये रखते हैं।

राज्यों से सम्बन्धित शक्ति

❖ संसद राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन कर सकती है, नये राज्यों का गठन कर सकती है,राज्यों का विभाजन कर सकती है तथा कई राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है। साथ ही किसी विद्यमान राज्य को किसी विद्यमान राज्य में मिला सकती है।

संविधान में संशोधन की शक्ति

❖ संसद को संविधान में शोषण करने का अधिकार है, लेकिन संसद का अधिकार असिमित नहीं है क्योंकि संसद संविधान संशोधन द्वारा संविधान केमूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती।

निर्वाचन सम्बन्धी कार्य

❖ संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते है तथा संसद उपराष्ट्रपति को भी निर्वाचित करती है।

महाभियोग की शक्ति

❖ अनुच्छेद 61 के अनुसार संसद को राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम सेपदमुक्त करने का अधिकार है।

संसद की विधायी प्रक्रिया

❖ देश के लिए कानून का निर्माण करना संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति (संसद के तीनों अंग) की सहमति सेकानून का निर्माण होता है। जब किसी प्रस्तावित कानून को लोकसभा तथा राज्य सभा द्वारा पारित किया जाता है तब उसे विधेयक कहा जाता है लेकिन विधेयक को कानूनी शक्ति तब तक प्राप्त नहीं होती है, जब तक विधेयक को राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता । राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात विधेयक अधिनियम के रूप में प्रवृत्त हो जाता हैऔर वह कानून का रूप ले लेता है।

❖ भारतीय संसद, ब्रिटिश संसद और अमेरिकी संसद के मध्य तुलना–

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

❖ भारतीय संसद, ब्रिटिश संसद और अमेरिकी संसद के मध्य कई आधारों पर तुलना किया जा सकता हैं इसे एक तालिका के माध्यम सेदार्शाया गया है-

भारतीय संसद, ब्रिटिश संसद और अमेरिकी संसद के मध्य तुलना				
क्र. सं.	तुलना का आधार	भारत	ब्रिटेन	अमेरिका
1.	शासन प्रणाली	भारत के संदर्भ में संघात्मक है परंतु गंभीर परिस्थितियों में यह एकात्मक भी होती है।	ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र एवं एकात्मक शासन प्रणाली विद्यमान है।	अमेरिका में संघात्मक
2.	संसदीय शासन व्यवस्था	भारतमें संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है	ब्रिटेन में भीसंसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है	अमेरिका अध्यक्षीय प्रणाली पर आधारित है।
3.	विधायिका	भारत में उच्च सदन को 'राज्यसभा' व निम्न सदन को 'लोकसभा' कहते हैं।साथ ही संसद के पास पर्याप्त शक्तियाँ होती हैं।	ब्रिटेन में भी संसद अत्यधिक शक्तिशाली है।	अमेरिका में विधायिका को कॉन्ग्रेस कहा जाता है। उच्च सदन 'सीनेट' व निम्न सदन 'प्रतिनिधि सभा ' कहलाती है।
4.	न्यायपालिका	भारत में एकीकृत न्यायपालिका है	ब्रिटेन में न्यायपालिका सामान्यतः कार्यपालिका और विधायिका के हस्तक्षेप से मुक्त है।	अमेरिका में संघ और राज्य की विधियों के लिये अलग-अलग न्यायालय हैं।
5.	संविधान की प्रकृति	भारतीय संविधान कठोर भी है और सुनम्य भी।	ब्रिटेन में साधारण बहुमत से संशोधन संभव है अर्थात सुनम्य संविधान है।	अमेरिकामें संविधान संशोधन कीविधि अधिक कठोर है।
6.	आकार	भारत के संविधान का आकार अत्यधिक विस्तृत है।	ब्रिटेन का संविधान अलिखित है।	अमेरिकी संविधान का आकार भारत के संविधान की तुलना में संक्षिप्त है।

<u>संसद का सदन- राज्यसभा और लोकसभा</u>

<u>राज्यसभा</u>

❖ भारतीय संविधान के प्रर्वतन के बाद काउंसिल ऑफ स्टेट्स (राज्यसभा) का गठन सर्वप्रथम 3अप्रैल 1952 को किया गया था। इसकी पहलीबैठक 13 मई, 1952 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा की गई थी । 23 अगस्त 1954 को सभापति नेसदन में घोषणा की कि 'काउंसिल ऑफ स्टेट्स' को अब राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, राज्यसभा का गठन 250 सदस्यों द्वारा होगा, इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किये जाते है, तथा शेष 238 का चुनाव राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता हैद्य राज्य सभा में संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं के लिए आवंटित स्थान को संविधान की चौथी अनुसूची में अन्तर्विष्ट किया गया है। इस अनुसूची में केवल 233 स्थानों के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है, कि वर्तमान समय में राज्यसभा की प्रभावी संख्या 245 (राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्यों सहित) है। वे 12 सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नाम निर्देशित किये जाते हैं, उन्हें साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।

<u>अप्रत्यक्ष चुनाव</u>

❖ राज्यसभा के सदस्यों का चुना व अप्रत्यक्ष रूप सेहोता है। राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्यों कीविधानसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का चुनाव उस ढंग से किया जाता है,जिसे संसद विधि बनाकर विहित करे। राज्यसभा में केवल दो संघ राज्य क्षेत्रों यथा राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा पाण्डिचेरी, के लिए स्थानों का आवंटन किया गया है इन राज्य क्षेत्रों के आवंटन में राज्य सभा के स्थानों को भरने के लिए निर्वाचक गणों को गठित करने के सम्बन्ध में लोक प्रतिनिधित्वक अधिनियम 1950 की धारा 27-क में संसद द्वारा उसढंग से विहित किया गया है, जिसके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित किया जाएगा। इस धारा के अनुसार पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए आबंटितस्थान को इस संघ राज्य क्षेत्र के विधान सभा केसदस्यों द्वारा चुने गये व्यक्ति से भरा जाएगा तथा दिल्ली के सम्बन्ध में इस धारा में कहा गया था कि दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के राज्यसभा सदस्य का चुनाव महानगर के परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जा एगा। लेकिन दिल्ली में विधानसभा केगठन के बाद स्थिति में परिवर्तन हो गया है।

अवधि

- राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता । इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसके सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष पदमुक्त होजाते हैं तथा पदमुक्त होने वाले सदस्यों के स्थानों को भरने के लिए प्रत्येक दूसरे वर्ष चुनावा होता है। यदि कोई सदस्य त्यागपत्र दे देता है या उसकी आकस्मिक मृत्यु के कारण कोई स्थान रिक्त होता है, तो इस रिक्त स्थानों के लिए उपचुनाव में चुना गया सदस्य केवल उस समय तक राज्यसभा का सदस्य बना रहता है, जिस समय तक, यदि उपचुनाव न होता। राज्य सभा के सदस्य राज्यसभा के सभापति को अपना त्यागपत्र किसी समय देकर सदस्यता से मुक्त हो सकते है।

अधिवेशन

- राज्यसभा का एक वर्ष में दो अधिवेशन होता हैलेकिन इसके अधिवेशन की अंतिम बैठक तथाआगामी अधिवेशन की प्रथम बैठक के लिए नियततिथि के बीच 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। सामान्यतया राज्यसभा का अधिवेशन तभी बुलाया जाता है, जब लोकसभा का अधिवेशन बुलाया जाता है, परंतु संविधान के अनुच्छेद 352,356 तथा 360के अधीन आपात काल की घोषणा के बाद तबराज्य सभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकताहै, जब लोकसभा का विघटन हो गया हो। उदाहरणार्थ 1977 में लोकसभा के विघटन के कारण तमिलनाडु तथा नागालैण्ड में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के लिए राज्य सभा का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था।

पदाधिकारी

- राज्यसभा के निम्नलिखित पदाधिकारी होते हैं-
- **सभापति**- भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह राज्यसभा की कार्यवाही के संचालन तथा सदन में अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होता है। सभापति राज्यसभा के नये सदस्यों को पद का शपथ दिलाता है। उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप मेंकर्तव्यों के निर्वहन के दौरान राज्य सभा केसभापति के रूप में उपसभापति द्वारा दायित्वों कानिर्वहन किया जाता है।
- **उपसभापति**- राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसीको अपना उपसभापति चुनेगी और जब उपसभापति का पद रिक्त होता है, तब राज्यसभाकिसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। इस प्रकार चुना गया उपसभापति सभापति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वाह करता है। 14 मई, 2002 के संसद द्वारा पारित विधेयक केअनुसार उपसभापति को केन्द्रीय राज्य मंत्री केसमान भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। उपसभापति निम्नलिखित स्थिति में अपना पद रिक्तकर सकता है-
  (क) जब वह राज्यसभा का सदस्य न रह जाय (ख) जब वह सभापति को अपना त्यागपत्र दे दे,
  (ग) जब तक वह राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पदसे न हटा दिया जाय, लेकिन ऐसा कोई संकल्प तबतक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, जब तक कि इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कमसे कम 14 दिन पूर्व सूचना न दे दी गई हो।
- **अन्य व्यक्ति**- जब सभापति तथा उपसभापति दोनों अनुपस्थित हों, हों तो राज्यसभा के सभापति के कार्योका निर्वहन राज्यसभा का वह सदस्य करेगा, जिसे राष्ट्रपति नाम निर्देशित करे और राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा या राज्यसभा द्वारा अवधारित किया जाय।

कार्य तथा शक्तियाँ

- संविधान द्वारा राज्यसभा तथा लोकसभा को अधिकतर मामलों के समान कार्य तथा समान शक्तियां प्रदान की गयी हैं (जिनका उल्लेख संसद के कार्य तथा शक्तियों में किया जाएगा), लेकिन कुछ मा मलों में राज्यसभा तथा कुछ मामलों में लोकसभा को अधिक शक्तियां प्रदान की गयी हैं। निम्नलिखित मामलों में राज्यसभा को कुछ अधिकशक्तियां प्रदान की गयी हैं-
- **सदस्यों के स्थान को रिक्त करना**- राज्यसभाका अधिवेशन चल रहा हो, तब राज्यसभा अपनेसदस्यों को अधिवेशन से अनुपस्थित होने की आज्ञादेती है लेकिन यदि राज्यसभा का कोई सदस्य सदनकी आज्ञा के बिना साठ दिन तक उसके सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहे, तो राज्यसभा उसकेस्थान को रिक्त घोषित करती है परन्तु साठ दिन कीअवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा, जिसके दौरान सत्र का अधिवेशन न हो रहा हो या अधिवेशन लगातार चारसे अधिक दिनों के लिए स्थगित रहा हो। उदाहरण के लिए 1976 में सुब्रामण्यम स्वामी का स्थान रिक्त घोषित कर दिया गया था क्योंकि वे राज्यसभा कीआज्ञा के बिना कई दिन तक इसकी सभी बैठकों मेंअनुपस्थित रहे थे।
- **राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानूनबनाने का अधिकार**- संविधान के अनुच्छेद 249 केअनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मतदानकरने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से यहसंकल्प पारित कर दे। राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में वर्णित किसी विषय के सम्बन्ध में कानून बनाये, तो संसद कोउस विषय के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। इस प्रकार राज्यसभा द्वारा बनाया गया कानून केवलएक वर्ष तक प्रवर्तन में रहता है परन्तु राज्यसभापुन: संकल्प पारित करके एक वर्ष के समय कोऔर एक वर्ष तक के लिए बढ़ा सकती है तथा बारबार संकल्प पारित करके इस अवधि को असीमित कर सकती है। राज्यसभा ने इस अधिकार का अब तक दो बार प्रयोग किया है-
- **1952 में**- राज्यसभा ने संकल्प पारित करकेसंसद को व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, वस्तुओं कीउपलब्धि तथा वितरण के सम्बन्ध में कानून बनानेका अधिकार दिया था
- **1986 में**-1986 में राज्यसभा ने संकल्प पारितकरके संसद को अंतरराष्ट्री य सीमा के साथ सुरक्षाक्षेत्र की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में कानून बनानेका अधिकार दिया था।
- अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था-संविधान के अनुच्छेद 312 (1) के अधीन यहप्रावधान किया गया है कि राज्यसभा अपनेउपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दोतिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे किराष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संघ और राज्योंके लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाय तो संसद को ऐसा अधिकार मिल जाता है। इस शक्ति का प्रयोग करके राज्यसभा ने निम्नलिखित अखिल भारतीयसेवा का सृजन किया है-
  (क) 1961 में- भारतीय इन्जीनियर्स सेवा, भारतीय **(ख) 1965 में**- भारतीय कृषि सेवा, भारतीय शिक्षा सेवा